राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ,

2, जलपथ गांधी नगर जयपुर

क्रमांक एफ 5( )नि.नि.वि/भौ.स./आई.सी.डी.एस/लेखा 110362-394 जयपुर, दिनांक 16.8.18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः— निदेशक, निरीक्षण विभाग द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाये गये सामान की राशि की वसूली शीघ्र करने बाबत्।
संदर्भः— ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 19.01.16 में दिये गये निर्देशों एवं विभागीय पत्रांक 14965—15302 दिनांक 15.02.16 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हे कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदय मबावि की अध्यक्षता में दिनांक 19.01.16 को आयोजित ऑडिट कमेटी की बैठक में निर्देश दिये गये थे कि निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाये गये सामान की राशि की वसूली संबंधित कार्मिक से शीघ्र करावें व इस संबंध में गठित अनुच्छेदों की अनुपालना शीघ्र भिजवायें तथा जिन कर्मचारी/अधिकारी द्वारा वसूली राशि जमा नहीं करवाई जाती है उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायें।

अतः उपरोक्त निर्देशों के क्रम में आपके एवं अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों के निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाये गये सामान की वसूली राशि संबंधित कार्मिकों से शीघ्र करावें तथा इस संबंध में गठित अनुच्छेदों की अनुपालना अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। इस संबंध में आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों द्वारा वसूली की गई राशि की संकलित सूचना निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। जिन कर्मचारी/अधिकारी द्वारा वसूली राशि जमा नहीं कराई जाती हैं एवं जिन अधिकारियों द्वारा राशि की वसूली यथा समय करने में कोताई/लापरवाही बरती जाती हैं उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही, अमल में लायी जावें। इसे प्राथमिकता देवें।

वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 5( )नि.नि.वि/भौ.स./आई.सी.डी.एस/लेखा 110395-699 जयपुर, दिनांक 16.8.18

प्रतिलिपी: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी .... को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ